प्रेस ब्रीफ

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

दिनांक: 21 दिसंबर,2021

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन संघ सरकार (वाणिज्यिक) - 2021 की प्रतिवेदन संख्या 12 को आज संसद में प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में पांच अध्याय हैं। प्रतिवेदन की कुछ मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

I. केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के वित्तीय निष्पादन का सार

31 मार्च 2020 को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 697 केन्द्रीय सरकारी सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) थे। इनमें 488 सरकारी कम्पनियां, 203 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियां तथा छह सांविधिक निगम शामिल थे। इस प्रतिवेदन में 427 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों (छह सांविधिक निगमों सहित) तथा 180 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों की चर्चा की गयी है। इस प्रतिवेदन में 90 सीपीएसई (23 सरकार नियंत्रित अन्य कम्पनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या अधिक के लिए बकाया थे या समाप्त/परिसमापनाधीन थे या प्रथम लेखे देय नहीं थे।

[पैरा 1.1.3]

केन्द्र सरकार का इक्विटी निवेश

427 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों के लेखाओं में दर्शाया गया कि केन्द्र सरकार की शेयर पूंजी में ` 4,52,908 करोड़ का इक्विटी निवेश किया था। 31 मार्च 2020 को केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए ऋण की ` 3,04,899 करोड़ की राशि बकाया थी। पिछले वर्ष की तुलना में केन्द्र सरकार द्वारा सीपीएसई की इक्विटी में निवेश में ` 48,485 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गयी तथा 2019-20 के दौरान बकाया ऋण ` 21,683 करोड़ तक बढ़ा।

[पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2.1]

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2020 को उन 58 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (छह सहायक कम्पनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ` 8,39,970 करोड़ था जिसके शेयरों को 2019-20 के दौरान विक्रय किया गया था। 31 मार्च 2020 को 52 सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों (छह सहायक कम्पनियों को छोड़कर) में केन्द्र सरकार द्वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ` 7,87,152 करोड़ था।

[पैरा 1.2.4]

सरकारी कम्पनियों और निगमों से प्रतिफल

224 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा 2019-20 के दौरान अर्जित लाभ ` 1,40,976 करोड़ था जिसका 68 *प्रतिशत* (` 95,311 करोड़) योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात विद्युत, पेट्रोलियम, कोयला तथा लिग्नाइट में 60 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा किया गया था। 2018-19 में 233 सीपीएसई में 18.69 *प्रतिशत* की तुलना में इन 224 सीपीएसई में 2019-20 में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 15.31 *प्रतिशत* था।

[पैरा 1.3.1]

99 सरकारी कम्पनियों तथा निगमों ने वर्ष 2019-20 के दौरान ` 73,487 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ` 34,944 करोड़ था जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों में केन्द्र सरकार द्वारा कुल निवेश (` 4,52,908 करोड़) पर 7.72 प्रतिशत प्रतिफल का द्योतक था।

पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 13 सरकारी कम्पनियों नें ` 26,349 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 35.86 प्रतिशत का द्योतक था। 49 सीपीएसई द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देश का अननुपालन करने के फलस्वरूप वर्ष 2019-20 के लिए केन्द्र लाभांश के भुगतान में ` 11,488 करोड़ की कमी हुई।

[पैरा 1.3.4]

181 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने वर्ष 2019-20 के दौरान हानि उठाई थी। इन कम्पनियों द्वारा उठाई गई हानि 2018-19 में ` 40,835 करोड़ की तुलना में वर्ष 2019-20 के दौरान ` 68,434 करोड़ वहन की गई।

[पैरा 1.3.2]

निवल संपत्ति/संचित हानि

31 मार्च 2020 तक ` 1,74,596 करोड़ की संचित हानि वाली 188 सरकारी कम्पनियां तथा निगम थे। इनमें से 90 कम्पनियों की निवल सम्पत्ति उनकी संचित हानियाँ द्वारा पूर्ण रूप से क्षरित हो गई थी। इसके फलस्वरूप 31 मार्च 2020 तक इन कम्पनियों की कुल निवल सम्पत्ति ` 1,15,829 करोड़ तक नकारात्मक हो गई थी। वर्ष 2019-20 के दौरान इन 90 कम्पनियों में से केवल 13 ने ` 1,713 करोड़ का लाभ अर्जित किया था।

[पैरा 1.3.3]

सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

इस रिपोर्ट में कवर किए गए 607 सीपीएसई में से 193 सीपीएसई में केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष निवेश है। 136 सीपीएसई (54 सूचीबद्ध सीपीएसई और 82 असूचीबद्ध सीपीएसई) के सम्बन्ध में आरओआरआर की 2000-01 से संगणना ऐतिहासिक लागत पर प्रतिफल की पारंपरिक दर के साथ उसकी तुलना करने के लिए की गयी है। आरओआरआर 2019-20 में 32.82 *प्रतिशत* की ऐतिहासिक लागत पर प्रतिफल की पारंपरिक दर की तुलना में 11.68 *प्रतिशत* था। आरओआरआर में 2006-07 तक बढती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी है जिसके बाद इसमें कमी होनी शुरू हो गयी और 2015-16 से 2019-20 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 12 *प्रतिशत* से 28 *प्रतिशत* के बीच थी।

पिछले तीन वर्षों के लिए आरओआरआर के कम्पनी वार विश्लेषण से पता चला कि जबकि सूचीबद्ध कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 34 प्रतिशत और 53 प्रतिशत के बीच आरओआरआर दिया है वहीं असूचीबद्ध सीपीएसई ने उसी अवधि के दौरान 3 प्रतिशत और 7 प्रतिशत के बीच नकारात्मक प्रतिफल दिया है।

(पैरा 1.4.4)

सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर रिटर्न (आरओआई)

54 सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर प्रतिफल (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर) की 2000-01 से संगणना इन सीपीएसई में केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के लिए की गयी। इन 54 सीपीएसई की समेकित

आरओआई (औसत वार्षिक दर) 2017-18 के दौरान 178.21 *प्रतिशत* थी, यह घटकर 2018-19 में 156.06 *प्रतिशत* और 2019-20 में 119.64 *प्रतिशत* रह गयी। इसी प्रकार आरओआई (सीएजीआर) 2017-18 में 21.46 *प्रतिशत* से घटकर 2018-19 में 19.74 *प्रतिशत* और 2019-20 में 17.45 *प्रतिशत* रह गयी। समेकित आरओआई (वार्षिक औसत दर) में 2007-08 में 476 *प्रतिशत* से 2019-20 में 120 *प्रतिशत* तक निरन्तर घटती हुई प्रवृत्ति दर्शायी गयी।

(पैरा 1.4.5)

सूचीबद्ध सीपीएसई का निजी कम्पनियों के साथ निष्पादन

पिछले पांच वर्षों के दौरान 36 सूचीबद्ध सीपीएसई के निष्पादन की तुलना पांच मानदण्डो पर (आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर) समान प्रकृति के कारोबार वाली निजी कम्पनियों के साथ की गई। यह देखा गया कि कुल 36 सीपीएसई में से आरओई, आरओसीई, ईपीएस, पी/ई अनुपात और आईसीआर क्रमशः 16, 17, 29, 28 और 17 सीपीएसई उसी क्षेत्र में निजी कम्पनियों की तुलना में निम्न स्तर पर थे।

[पैरा 1.4.6]

II. सीएजी की निगरानी भूमिका

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अधीन 691 सीपीएसई में से (छः सांविधिक निगमों को छोड़कर) 573 सीपीएसई से वर्ष 2019-2020 के वित्तीय विवरण 31 दिसम्बर 2020 तक प्राप्त किए गए। जबकि 35 सीपीएसई से वित्तीय विवरण देय नहीं थे, 83 सीपीएसई के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों में बकाया थे।

(पैरा 2.3.2)

573 सीपीएसई जिनमें वित्तीय विवरण 31 दिसम्बर 2020 प्राप्त हुए थे, में से 334 सीपीएसई में अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

(पैरा 2.5.1)

पांच सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया और 52 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय विवरणों को प्रस्तुत करने से पूर्व अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को संशोधित किया था। इसके अतिरिक्त, वित्तीय विवरणों में त्रुटियां उजागर करने वाली विभिन्न टिप्पणियां भी जारी की गई थी।

(पैरा 2.5.1.1 और पैरा 2.5.1.2)

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का वित्तीय प्रभाव लाभप्रदता तथा परिसंपत्तियों/देयताओं पर क्रमश: `4,185.75 करोड़ और ` 15,376.62 करोड़ रहा।

कुछ कम्पनियों यथा आईएफसीआई लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, तुगंभद्रा स्टील प्रोडक्टस लिमिटेड, इरकॉन दावनगेरे हावेरी लिमिटेड तथा स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने पूर्व में वित्तीय विवरणों पर जारी टिप्पणियो पर सुधारात्मक कार्यवाई नहीं की।

(पैरा 2.5.1.3)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखाकरण मानकों/इंड एएस के प्रावधानों से सात सीपीएसई में विचलनों को देखा गया था। सीएजी ने भी 21 सीपीएसई में ऐसे विचलनों को बताया था।

(पैरा 2.6)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय रिपोर्टों में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में अनियमितताओं और त्रुटियों को देखा गया जो कि महत्वपूर्ण नहीं थी, प्रबंधन पत्र के माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए 194 सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित की गई थी।

(पैरा 2.7)

III. विनिवेश प्रक्रिया

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने विनिवेश के 15 लेनदेन के माध्यम से वर्ष 2019-20 के दौरान `50,299 करोड़ रूपये की राशि की वसूली की। लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित मुद्दों को पाया गया:

(i) वर्ष 2019-20 के दौरान विनिवेश आय के लिए `65,000 करोड़ के संशोधित अनुमान के प्रति वास्तविक उपलब्धि केवल `50,299 करोड़ थी, इस प्रकार 23 *प्रतिशत* की कमी दर्ज की गई।

(पैरा 3.5)

(ii) नीतिबद्ध विनिवेश के भाग के रूप में, भारत सरकार ने कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) में अपनी पूरी 66.67 प्रतिशत इक्विटी चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट (सीएचपीटी) को `2,383 करोड़ में बेची (मार्च 2020)। खराब वित्तीय स्थिति के कारण, सीएचपीटी को केपीएल में भारत सरकार की हिस्सेदारी खरीदने के लिए आठ प्रतिशत प्रति वर्ष के ब्याज दर पर ` 1,775 करोड़ का ऋण

जुटाना पड़ा। मूलधन पुनर्भुगतान के अलावा, इसने सीएचपीटी पर लगभग ` 142 करोड़ (प्रति वर्ष) के अतिरिक्त ब्याज का बोझ डाला। इस प्रकार, भारत सरकार द्वारा केपीएल के विनिवेश से प्राप्त आय को सीएचपीटी द्वारा बाजार से काफी उधार लिया गया था, जिसने विनिवेश का उद्देश्य विफल किया।

(पैरा 3.7.2.3 (क))

(iii) कामराजर पोर्ट लिमिटेड का मूल्यांकन करते समय, लेनदेन सलाहकार ने विभिन्न मूल्यांकन विधियों के तहत 20 प्रतिशत कंपनी विशिष्ट छूट/अतिरिक्त जोखिम प्रीमियम पर विचार किया। इसी तरह, टीएचडीसी की देहरादून और उसके आसपास की निजी भूमि को बाजार मूल्य से 40 *प्रतिशत* की छूट दी गई। लेखापरीक्षा का विचार है कि इस तरह की मान्यताओं के आरक्षित मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव को देखते हुए, औचित्य और अंतर्निहित तर्क स्पष्ट रूप से प्रलेखित किया जाना चाहिए था।

(पैरा 3.7.2.3(ख))

(iv) कैबिनेट ने भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक (सीईपीआई) की अभिरक्षा में रखे गए शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए तंत्र और प्रक्रिया को मंजूरी दी (नवंबर 2018)। ऐसे शत्रु शेयरों की बिक्री आय को विनिवेश आय के रूप में सरकारी खाते में जमा किया जाना था। वर्ष 2019-20 के दौरान शत्रु शेयरों की बिक्री से ` 1,881 करोड़ की राशि की वसुली की गई। हालांकि 45 सूचीबद्ध कंपनियों और 145 असूचीबद्ध कंपनियों में शत्रु शेयरों के शेयर प्रमाणपत्र अभिरक्षक के पास उपलब्ध नहीं थे और डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र अभी जारी किए जाने थे। इसके अलावा प्रत्यक्ष रूप में असूचीबद्ध शेयरों को अभी इनकी बिक्री के लिए अप्रत्यक्षीकृत किया जाना था।

(पैरा 3.7.4)

(v) सीसीईए द्वारा स्टॉक एक्सचेंज मे सीपीएसई को सूचीबद्ध करने के लिए अनुमोदित (दिसंबर 2018) संशोधित मानदंडों, यथा 'सकारात्मक निवल धन, कोई संचित घाटा नहीं व तत्काल तीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों में से किसी एक में निवल लाभ' के अनुसार सूचीबद्ध करने के लिए पात्र सीपीएसई की संख्या 133 थी। वित्तीय वर्ष 2019-20 में, हालांकि, सूचीबद्ध करने के लिए केवल दो सीपीएसई को बाजार में लाया गया था, जो सीपीएसई को सूचीबद्ध करने में धीमी प्रगति को दर्शाता है

(पैरा 3.8.1)

IV. कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व

समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 95 सीपीएसई (10 महारात्न, 11 नवरत्न, 47 मिनीरत्न और 27 अन्य कम्पनियां) को 31 मार्च 2020 को समाप्त एक वर्ष की अवधि के लिए कवर किया गया। समीक्षा में निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

(i) भारतीय कपास निगम लिमिटेड को छोड़कर सभी सीपीएसई में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार सीएसआर समिति में न्यूनतम तीन निदेशक थे।

(पैरा 4.5.1.1)

(ii) समीक्षा किए गए 95 सीपीएसई में से 29 सीपीएसई ने अपनी सीएसआर पालिसी के अनुसरण में तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के औसत निवल लाभ के न्यूनतम 2% से अधिक आवंटित किए और 60 सीपीएसई ने आवश्यक न्यूनतम दो प्रतिशत आबंटित किया, जबकि तीन सीपीएसई ने 2 *प्रतिशत* से कम आवंटित किया, तीन सीपीएसई ने कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 198 के तहत नकारात्मक शुद्ध लाभ के कारण धन आबंटित नहीं किया।

(पैरा 4.5.2.1)

(iii) 67 सीपीएसई ने सीएसआर पर आवश्यक न्यूनतम 2 *प्रतिशत* से अधिक खर्च किया, 10 सीपीएसई ने निर्धारित न्यूनतम 2 *प्रतिशत* व्यय किया और 18 सीपीएसई ने सीएसआर पर न्यूनतम 2 *प्रतिशत* से कम व्यय किया।

(पैरा 4.5.2.2)

(iv) राज्यों में सीएसआर व्यय के सन्दर्भ में 2017-18 से लगातार तीसरे वर्ष में वर्ष 2019-20 के दौरान ` 702.06 करोड़ के साथ उच्चतम सीएसआर व्यय करने के मामले में ओडिशा अव्वल रहा। ओडिशा में 37 सीपीएसई ने `702.06 करोड़ का योगदान दिया, जिसमें से अकेले 9 तेल एवं गैस सीपीएसई ने वर्ष 2019-20 के दौरान `350.75 करोड़ का योगदान दिया। दमन और दियु, अंडमान एवं निकाबार, चंडीगढ़, मणिपुर, नागालैंड और मिजोरम उन राज्यों में शामिल थे, जिन पर पिछले तीन वर्षों के दौरान सबसे कम ध्यान दिया गया।

(पैरा 4.5.2.5)

(v) तीन सीपीएसई यथा एनएमडीसी फाउंडेशन, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम और खनिज अनवेषण निगम लिमिटेड के संबंध में उपरिव्यय 5 *प्रतिशत* की सीमा से अधिक हो गया।

(पैरा 4.5.2.7)

(vi) 95 सीपीएसई में से उनतीस सीपीएसई ने सीएसआर खर्च 60 *प्रतिशत* के लक्ष्य से कम किया, 53 सीपीएसई ने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जबकि 8 सीपीएसई ने कोई राशि खर्च नहीं की। शेष पांच सीपीएसई के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे। इसी प्रकार, आकांक्षी जिलों में सामान्य

विषय पर सीएसआर के व्यय के संबंध में 85 सीपीएसई के आंकड़े उपलब्ध थे, जिनमें से आकांक्षी जिलों में 34 सीपीएसई ने 25 *प्रतिशत* से कम खर्च किए; 32 सीपीएसई ने 25 *प्रतिशत* से अधिक खर्च किया और आकांक्षी जिलों में 19 सीपीएसई ने कोई राशि खर्च नहीं की।

(पैरा 4.5.2.8)

V. चयनित गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में भारतीय लेखाकरण मानकों के कार्यान्वयन का प्रभाव

भारत सरकार के कॉपोरेट मामलों के मंत्रालय ने वैश्विक मानकों, अर्थात अंतराष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग मानकों (आईएफआरएस) के साथ लागू भारतीय सामान्यत: स्वीकृत लेखाकंन सिद्धांतो (आईजीएएपी) को मिलाकर भारतीय लेखाकंन मानको (इंडएएस) को अधिसुचित किया (16 फरवरी 2015)। इंडएएस को 1 अप्रैल 2016 से निर्धारित श्रेणी की कंपनियों द्वारा चरणबद्ध तरीके से और इंडएएस के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित रोडमैप के अनुसार अनिवार्यत: अपनाना है, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) कार्यान्वयन के तीसरे और अंतिम चरण में (1 अप्रैल 2018) से आई थीं। इंडएएस को अपनाने वाले 35 एनबीएफसी में से 19 एनबीएफसी के लेखापरीक्षा नमूने का चयन विभिन्न क्षेत्रों में निवल संपत्ति, कर के बाद लाभ और टर्नओवर के आधार पर किया गया था, जिसमें क्षेत्र के प्रतिनिधित्व पर विधिवत विचार किया गया था।

(पैरा 5.1, 5.2 और 5.4)

लेखापरीक्षा नमूने में एक एनबीएफसी, एसबीआई पेंशन फंड (पी) लिमिटेड ने 2018-19 के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने में इंड एएस को नहीं अपनाया था, यद्यपि कार्यान्वयन रोडमैप के अनुसार 01.04.2018 से ऐसा करना आवश्यक था। हालांकि, त्रुटि को इंगित करते समय लेखाओं के प्रमाणन के समय पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी को जारी करने (8 जुलाई 2019) के पश्चात् निदेशक मंडल ने इंड एएस के अनुसार वित्तीय विवरणों का संशोधन करने का निर्णय लिया और उसके बाद एनबीएफसी ने इंड एएस के अनुसार लेखाओं को तैयार किया।

(पैरा 5.6)

चयनित 19 एनबीएफसी के लेखापरीक्षा विश्लेषण ने यह दर्शाया कि एनबीएफसी द्वारा इंड एएस को अपनाने से निम्नलिखित तरीके से, चयनित एनबीएफसी के कर के बाद लाभ, राजस्व, कुल परिसंपत्तियों और निवल धन पर प्रभाव पड़ा।

(i) सात एनबीएफसी में कर के बाद लाभ (पीएटी) में वृद्धि हुई और 10 एनबीएफसी में कमी हुई। दो एनबीएफसी के संबंध में पीएटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। संचयी तौर पर, पीएटी में 19 एनबीएफसी में पीएटी पर निवल प्रभाव में ` 201.62 करोड़ की कमी आई थी।

(पैरा 5.8.1)

(ii) इस एनबीएफसी में राजस्व में वृद्धि हुई और छह एनबीएफसी में कमी हुई। तीन एनबीएफसी में राजस्व में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। संचयी तौर पर, 19 एनबीएफसी में राजस्व पर निवल प्रभाव राजस्व में ` 672.9 करोड़ की वृद्धि था।

(पैरा 5.8.2)

(iii) कुल परिसंपत्तियों के संबंध में, आठ एनबीएफसी ने परिसंपत्तियों में वृद्धि दर्ज की और नौ एनबीएफसी ने परिसंपत्तियों में कमी दर्ज की। दो एनबएफसी की परिसंपत्तियों में कोई परिवर्तन नहीं था। संचयी तौर पर, 19 एनबीएफसी में कुल परिसंपत्तियों पर निवल प्रभाव कुल परिसंपत्तियों में ` 6252.04 करोड़ की कमी था।

(पैरा 5.8.3)

(iv) आठ एनबीएफसी में निवल धन में वृद्धि हुई और नौ एनबीएफसी में कमी हुई। दो एनबीएफसी के मामले में निवल धन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। संचयी तौर पर, 19 एनबीएफसी में निवल धन पर निवल प्रभाव, निवल धन में ` 7921.73 करोड़ की कमी थी।

(पैरा 5.8.4)

इसलिए इंड एएस को अपनाने के कारण प्रभाव को सभी चयनित एनबीएफसी के वित्तीय विवरणों में देखा गया था। वित्तीय संसाधनों के उचित मुल्यांकन, आस्थगित कर के लेखाकरण, प्रत्याशित क्रेडिट हानि पद्धति को लागू करने और रोजगार के पश्चात् लाभों के प्रति देयताओं के मुल्यांकन के माध्यम से कर्मचारी लाभों के लेखाकरण के संबंध में प्रमुख परिवर्तनों को किया गया।

(पैरा 5.8)

इंड एएस को अपनाने से प्रमुख परिचालन और वित्तीय अनुपातों पर भी प्रभाव पड़ा जिसने कंपनी की नकदी, परिचालन क्षमता और लाभप्रदता में अंर्तदृष्टि प्रदान की।

(पैरा 5.8.6.1)

शिफारिशें

1. ***नीतिगत विनिवेश में मूल्यांकन प्रक्रिया में की गई संकल्पनाओं/निर्णयों को वैधीकृत करने और अपेक्षित आश्वासन देने के लिए कि वही उचित थे, अंतर्निहित औचित्य और तर्क को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाए और लगातार प्रलेखित किया जाए क्योंकि परिसंपत्तियों के आरक्षित मूल्य और मूल्यांकन पर उनका महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।***

(पैरा 3.7.2.4)

2. *आईईएम के तंत्र को अपने संदर्भ की शर्तों के अनुसार कार्य करने की आवश्यकता है ताकि यह नीतिगत विनिवेशों की लेन-देन प्रक्रिया की देख-रेख करने के अपने अभिप्रेत उद्देश्य को पूरा कर सके और सीपीएसई/इकाईयों के मूल्यांकन को समवर्ती आधार पर पुनरीक्षण कर सके।*

(पैरा 3.7.2.5)

3. *डुप्लीकेट शेयरों को जारी करने और शेयरों के डीमेटिरियलाइज़ करने की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने के लिए एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शत्रु शेयरों के मुद्रीकरण की दिशा में तेजी से कदम उठाए जाएं।*

(पैरा 3.7.4)

4. *सीएसआर आबंटन की मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कार्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा सीपीएसई को कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 198 के अन्तर्गत निवल लाभ की गणना के लिए एक समान पद्धति के पालन करने हेतु स्पष्टीकरण जारी कर सकती है।*

{पैरा 4.5.2.1 (क)}

5. *कार्पोरेट मामलों का मंत्रालय कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 में निर्धारित नियम 4(6) के अनुसार प्रशासनिक ओवर हैड्स में वेतन को शामिल करने के संबंध में एक समान प्रणाली का पालन करने के लिए सीपीएससी को निर्देश जारी कर सकता है।*

(पैरा 4.5.2.7)

BSC/SS/TT